सांसदों का भ्रष्टाचार एवं निष्काशन— बजरंग लाल

पिछले दो माह में भारत के संसदीय भ्रष्टाचार के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएँ प्रकट हुई । भारतीय संसद के कुछ इमानदार राजनैतिक दलों पर भूतकाल में पूँजीवादी और साम्यवादी देशों से घूस लेकर राजनीति चलाने के स्पष्ट आरोप लगे है । साम्यवादी दलों की पोल खुली तो उनके नेता ज्योति बसु जी ने कांग्रेस की पोल खोलने में कोई देर नहीं की । कुछ दिनों के ही अन्तराल में कांग्रेस के एक बड़े स्थापित व्यक्तित्व नटवर सिंह जी पर पार्टी के नाम पर सद्दाम से घूस रूपी तेल कूपन लेने का आरोप लगा। कांग्रेस पार्टी क रोमेश भंडारी जी ने भाजपा के नेताओं पर भी वैस ही आरोप लगाने में कोई देर नहीं की । इन दोनो घटनाओं के शोघ्र बाद ही संसद के सत्रह सदस्यों पर घूस लेकर काम करने का आरोप लगा। एक सप्ताह के भीतर ही संसद ने ग्यारह सदस्यों को संसद से निष्कासित कर दिया और शेष पर निष्कासन की कार्यवाही जारी है।

भारतीय संसद में करीब आठ सौ सदस्य हैं। समाज में फैले विश्वास के अनुसार इनमें से अनेक सांसद विदेशों से साठगांठ करके धन के बदले उनकी दलाली करतें हैं। तो अनेक भारतीय पूँजीपति घरानो से बकायदा मासिक वेतन लेते हैं। कई सांसदों को तो पूँजीपति घराने बकायदा चुनाव लड़ाकर अपने हितों के लिये ही संसद में बिठाते हैं। अनेक सांसद ऐसे हैं जो संसद में विभिन्न राजनैतिक पद प्राप्त करके अपनी गुप्त धन प्राप्त करने की शक्ति बढ़ा लेतें हैं । जो शेष बचते हैं वे बेचारे या तो मनमसोसकर अपने दिन काटते हैं या इधर उधर छोटे मोटे सड़क छाप मसलों में मुँह मारतें हैं। हमारे सांसदों में से कितने सांसद सिर्फ पाटो के लिये भ्रष्टाचार करतें हैं ,, कितने अपना कार्यालय का भारी भरकम खर्च चलाने के लिये, और कितने सम्पत्ति खड़ी करने के लिये, यह छांटना तो मुश्किल है किन्तु पूरी तरह ईमानदार सांसदों की संख्या प्रतीकात्मक ही होगी यह कहना मुश्किल नहीं। हो सकता है कि अनेक सांसद ईमानदार ही हों किन्तु विश्वास नहीं होता। सभी सांसद सांसदों में फैले भ्रष्टाचार कोई खास बात नहीं क्योंकि यह भ्रष्टाचार तो उपर से नीचे तक लगभग सार्वजनिक ही है । किन्तु सत्रह सांसदों के मामालों में त्वरित और कठोरतम कार्यवाही करना उनकी इच्छा नहीं, मजबूरी थी । इन सांसदों को पकड़वाने में इन अन्य सांसदों की कोई भूमिका नहीं थी किन्तु इनको बचाने से तो इन्हें नुकसान हो सकता था इसलिये इन्होंने अपनी सुरक्ष के लिये तत्काल और कठोर कार्यवाही की । यदि ये स्वयं ठीक ठाक होते तो विदेशों से धन लेकर भी सुरक्षित बच निकलने वालों और मुर्गी चोरों की बीच अन्तर तो अवश्य ही करते । एक ईमानदार सांसदों की संसद, के बीच कुछ लोग इस तरह धन लेकर प्रश्न करें यह एक बहुत ही जघन्य अपराध है । ऐसे सांसदों को जो सजा दी गई वह बहुत कम ह । किसी सांसद को, जो जनसेवा के लिये संसद में आया था और ईमानदारी से जनसेवा कर रहा था उसे यदि किसी भूल के कारण जनसेवा से हटा दिया गया, इसमें सजा क्या है ? यदि हम इस सजा को बहुत गंभीर मानते हैं तो हम कही न कहीं सांसद बनाने को सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी मानते हैं जिससे वंचित होना बहुत बड़ी सजा है । किन्तु यदि संसद के आम सांसदों को अपने सदस्यों के भ्रष्टाचार की सामान्य जानकारी है तो यह सजा पक्षपात पूर्ण है । समाज तो ऐसी सजा का समर्थन करेगा ही क्योकि वह नहीं जानता कि संसद सदस्यों का औसत आचरण क्या है किन्तु संसद सदस्य तो अपना औसत आचरण जानतें है । नटवर सिंह जी पर लगा आरोप एक मंत्री पर आरोप था सांसद पर नहीं इसलिये जॉच होते तक के लिये संसद से निलम्बित नहीं किया गया और ये सांसद मंत्री नहीं थे इसलिये इन्हें संसद से जॉच होने तक के लिये भी संसद से हटा दिया गया वह समझ में नही आया ।

संसद द्वारा की गई कठोर कार्यवाही से संसद की विश्वसनीयता बढी है यह सच है । कुछ लोगों को सजा देने से शेष लोगों को अपने पापों पर पर्दा डालने में कुछ मद्द मिलेगी यह भी सच है किन्तु क्या यह संसद सदस्यों के भ्रष्टाचार का सही समाधान होगा ? अब छोटे छोटे भ्रष्टाचार या तो और अधिक सतकता से होगे या नहीं होंगे अर्थात भ्रष्टाचार अब बड़े बड़े लोगों तक सीमित हो जायेगा, छोटे लोग इससे किनारे हो सकते हैं । यह तो कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ । हमारी संसद ने इन सांसदों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करके एक तीर से कई शिकार किये हैं (1)शेष संसद सदस्यों को ईमानदार होने का प्रमाण पत्र मिल गया है । (2)स्टिंग आपरेशन पर अंकुश लगाने का बहाना मिल गया ह । (3)राजनैतिक दलों को चुनाव खर्च सरकार से दिलाने की कार्यवाही शुरू की गई है । स्टिंग आपरेशन करने वाले मीडिया कर्मियों पर अंकुश लगाने के विषय में संसद बहुत चिंतित क्यों हुई ? यदि संसद ने ऐसे पोल खोल मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया तो क्या यह उचित होगा कि ऐसे अंकुश के बाद के मीडिया प्रयत्न सजा योग्य और पुर्व के प्रयत्न प्रशंसा योग्य मान लिये जायें । यदि आप मानतें हैं कि सांसदों का निष्कासन उचित कदम हैं तो ऐसे प्रयत्न करने वाले मीडिया को प्रोत्साहन क्यों नहीं । सांसद इन पर नियंत्रण हेतु चिंतित क्यों ? एक बात और समझ में नहीं आई कि सात वर्षो से लम्बित चुनाव खर्च प्रस्ताव पर उसी दिन निर्णय की हड़बड़ी क्यों ? हमारे नेताओं ने महसूस किया कि भारत की आम जनता चुनाव खर्च सरकार पर डालने को स्वीकार नहीं कर सकती है इसलिये यह अच्छा अवसर है कि इस हड़बडो में ही वैतरणी पार कर ली जाय । भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कठोर से कठार सजा होनी ही चाहिये ऐसे प्रयत्न आवश्यक है । यदि कोइ सांसद घूस ले लें तो उसे और अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान होना आवश्यक है। किन्तू भ्रष्ट लोग अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिये कठोर दण्ड़ का नाटक करें यह समस्या का समाधान नहीं। समस्या के समाधान पर गंभीर विचार मंथन तथा योजना बनाने की आवश्यकता है। एक सामान्य सिद्वान्त है कि किसी कानून का दो प्रतिशत तक उल्लंधन होता है तो उस कानून को कड़ाई से लागु करने का प्रयत्न होना चाहिये और यदि उल्लंघन करने वालों की संख्या दो प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे कानून हटा लेने चाहिये । यह एक सीधा सिद्वान्त आज तक कभी नहीं समझा गया । संसद सदस्यों को आपने जो भी काम सौंपें हैं उनमें जिन जिन कामों में अधिक भ्रष्टाचार के अवसर हैं वैसे काम सदस्यों स वापस ले लेना ही समस्या का समाधान हैं । आपने दो करोड की स्वीकृति का जो अधिकार सांसद को दिया है वह यदि जिला परिषद को दे दें तो क्या बिगड़ जायेगा । सांसद अपने क्षेत्र की समस्या अधिक समझता है और जिला परिषद कम ऐसा मानने का कोई आधार नहीं । जिला परिषद में भी भ्रष्टाचार होगा ही इसलिये भ्रष्टाचार के सारे अवसर सांसदो तक सीमित कर दिये जावें ऐसे तर्क स्वार्थपूर्ण हैं । सांसदों को अधिकतम नीति निर्धारण इकाई तक सीमित कर दीजिये । शष सारा काम नीचे की इकाईयों को बांट दीजिये । फिर देखिये कि भ्रष्टाचार कम होता है कि नहीं । सारे अधिकार अपने पास समेट कर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार न हो यह संभव नहीं। और यदि भ्रष्टाचार आम तौर पर होगा तो यदा कदा किसी भ्रष्ट को संसद से निकाल देने से भी ईमानदार लोग हैं उन्हें चाहिये कि वे सांसदों के अधिकारों म कमी की मांग उठावें। इस मांग को जनसमर्थन मिलेगा ही। आशा है कि हमारे जन प्रतिनीधि ऐसा प्रयत्न करके भ्रष्टाचार मुक्ति का नया प्रयत्न शुरू करेंगे ।

प्रश्नोत्तर :—

श्री श्रुतिवन्तु प्रसाद दुबे, डगा, बरगांवा, सीधी, मध्य प्रदेश ।

रोजगार गारंटी योजना की आपने जिस ढंग से प्रशंसा की है उससे मैं सहमत हूँ । योजना काबिले तारीफ है यदि क्रियान्वयन ठीक से हो ।

व्यवस्था परिवर्तन अभियान सम्मेलन सम्पन्न हुआ। मै नहीं पहुँच सका। परिस्थितियॉ होती हैं । मुझे दुख है । सम्मेलन में चार सूत्रीय संविधान संशोधन तय हुआ जिसमें सक्रिय आन्दोलनकारियों की सूची तैयार रने की योजना बनी है । सदस्यों की सदस्यता के समान ही क्षेत्र को भी रेखांकित किया जाय । एक लाख की सूरी गिने चुने स्थानो के सदस्य ही अगर और कर लें तो, आन्दोलन शुरू हो सकता है । किन्तु क्षेत्र लाभ पूरी से जानकारो से वंचित रह जायेगा । अभियान को क्षेत्रों से जोड़ना आवश्यक होगा भले ही कहीं एक ही सदस्य हों । इससे क्षेत्र में आवाज तो अभियान की पहुँच हो सकती

है । संविधान संशोधन समाज, व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते कुछ अन्य संगठन भी है । किन्हें जोड़कर आपसी तालमेल से विचारों में कुछ बिन्दुओं पर एकता स्थापित कर लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है । राष्ट्रकथा कार्यक्रम की चर्चा है जिससे स्पष्ट किया गया है कि '' दिल्ली के बाहर भी ऐसी कथाऐं रखी जा सकती है । '' मैं चाहता हूॅ कि दिल्ली के बाहर भी ऐसी कथाऍ रखी जायें । कारण दिल्ली ही पुरा भारत नहीं हैं। दिल्ली का कथा वाचक हर जगह पहूॅचकर वाचन नहीं दे सकता अतः क्षेत्रवार ईकाईयों में वंचिक प्रशिक्षित किऍ जायें ।

सम्मेलन में '' एक राजनैतिक आन्दोलन की अनिवार्यता को हर किसी ने महसूस किया '' क्या विचारक भी पीछे के दरवाजे से राजनीति में घुसना चाहतें हैं ? अगर नही तो एक राजनीतिक आन्दोलन को स्वीकारना कहॉ तक उचित होगा । क्या चिन्तक अराजनैतिक आन्दोलन चलाने के लिये सक्षम नहीं ? क्या वैचारिक आन्दोलन चलाकर हम लक्ष्य तक नहीं पहुॅच सकते ? मुझे तो आज के परिवेश में वैचारिक आन्दालन वैचारिक क्रान्ति की आवश्यकता महसूस हो रहीं हैं । लोकतंत्र , अहिंसा, विकेन्द्रीयकरण, उत्पादन संबंधों में बदलाव तक संविधान संशोधन के बीज को विचार भूमि में बोकर पनपाया जा सकता है ।

विचार चलें चलतें रहें । सबकी एकता सफलता को दिशा देगी '' ज्ञानतत्व कम का पाठ पढ़ाकर कर्मसेना तैयार करेगा । आगे बढ़ें । बढ़तें रहें । मुझे आजीवन सदस्य ही समझें ।

उत्तर– आपने आन्दोलनकारियों की सूची के संबंध में उचित प्रश्न उठाया है हम भी यह महसूस करतें है कि यह आन्दोलन पूरे देश में एक साथ ही होना आवश्यक है । आन्दोलन का क्षेत्रीय विभाजन न हो सकता है न होना चाहिये । हमारे कार्यसमिति की बैठक दस अक्टुबर को हुई । जिसमें तय हुआ कि प्रत्येक लोक सभा से न्यूनतम पचास सदस्य बनना अनिवार्य होगा । यदि भारत में एक भी ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहॉ पचास से कम सदस्य हैं तो आन्दोलन शरू नहीं होगा भले ही कल सदस्य संख्या एक लाख से अधिक ही क्यों न हो जावें । अब तक जो भी संगठन संविधान की बात उठा रहें हैं उनमें से अधिकांश सरकार की खामियों को दूर करने के सुझाव दे रहें है जिससे भारत में सत्ता अव्यवस्था को हटाकर सुव्यवस्था में बदल सकें । मेरे विचार में उनके संविधान के अधिकांश सुझाव सत्ता की समाज पर मजबुत पकड़ में सहायक होंगे । मेरे विचार में यह मृगतृष्णा मात्र है क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता से सुशासन हो ही नहीं सकता जब तक लोकतंत्र स्वशासन को स्वीकार न कर लें । यह बिल्कुल सामान्य और सद्धान्तिक बात है । बहुत लोगों ने अपने अपने संविधान संशोधन के प्रस्ताव मुझे भेजें हैं । मुक्तानन्द जी , भरत गांधी जी, तथा कुछ अन्य के प्रस्तावा में मुझे सब जगह सुशासन के प्रयासों की ही गंध आई । इसलिये मैंने ऐसे संविधान सशोधन के प्रस्तावों से तालमल नहीं किया । मेरठ के जीतेन्द्र कुमार जी अग्रवाल रतलाम के मदनमोहनजी व्यास, बम्बई के कृष्ण कुमार जी सोमानी आदि के संविधान संशोधन के प्रस्तावों में मुझे सुशासन की जगह पर स्वशासन के ईमानदार प्रयास दिखतें हैं ।

प्रस्तावों से तालमेल नहीं किया। मेरठ के जीतेन्द्र कुमार जी अग्रवाल, रतलाम के मदनमोहन जी व्यास, बम्बई के कृष्ण कुमार जी सोमानी आदि के संविधान संशोधन के प्रस्तावों में मुझे सुशासन की जगह पर स्वशासन के ईमानदार प्रयास दिखतें हैं । ऐसे सब साथिया से मैं लगातार सम्पर्क में हूॅ। मेरा लक्ष्य संविधान सशोधन मात्र नहीं है । मैं तो संविधान में ऐसे ही संशोधनों का पक्षधर हूॅ , जो स्वव्यवस्था के माध्यम से अव्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में सोचते हैं । यह परिवर्तन न तो वर्तमान संविधान कर सकता है न ही संविधान संशोधनों के वर्तमान प्रयास ।

इस तरह लोक स्वराज्य मंच अपने सीमित संशाधनों से इस कार्य में निरन्तर सक्रिय हैं । राष्ट्रीय स्वाभिमान आन्दोलन की ओर से गोविन्दाचार्य जी ने अपने संगठन के लोगों को संकल्प पत्र भरवाने हेतु निर्देश दिया है। उनके प्रयत्नों से भी बड़ी मात्रा में हस्ताक्षर होंगे ही। हस्ताक्षर अभियान के संयोज आचार्य पंकज जी लोक स्वराज्य मंच तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान आन्दोलन के हस्ताक्षरों के समन्वय के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन अभियान के नाम से भी संकल्प पत्र भरवाने में जुटें हैं । वे भी प्रे देश में प्रान्तीय तथा जिला संयोजकों की नियुक्ति करके अभियान को गति दे रहें हैं । किन्तु इतना बड़ा देश हैं, आम लोगों का मनोबल टुटा हुआ है, सत्ता का मनोबल बहुत ऊॅचा हैं । हमारा पूरा कार्य प्रयत्न और तरीका बिल्कुल पृथक है तथा कहीं से गुप्त धन प्राप्त करने से परहेज है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर चार माह के प्रयत्न उत्साह वर्धक माने जाने चाहिए । अप्रैल के पूर्व ही तीनों प्रकार के हस्ताक्षर एक साथ होकर आगे की योजना बनेगी। अभी तो आप सब मिलकर अधिक से अधिक सक्रिय लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रयत्न करें । जिन साथियों को हस्ताक्षर पत्रक चाहिये वे पत्र लिखें तो उन्हें तत्काल पत्रक चलें जायेंगे या वे स्वतः छपवाकर या फोटो कराकर भी भरवा सकतें है । जिन साथियों का ई मेल है वे अपना ई पता हमें लिख दें । हमार ई. मेल का पता gyan _tatva @rediffmail.com है । आप ई. मेल से पत्र व्यवहार कर सकतें है ।

प्रश्न– विमल चन्द पाण्डेय ड़ंवरकर, गोरखपुर , उ0प्र0

तर्क समझने और समाधान निकालने के लिये होते हैं । अपनी सोच को सर्वोपरि बताने के लिये नहीं । संघ इस तथ्य को जानता है कि विरोध आधारित संग्राम और कार्य सफल नहीं होते। संघ का उद्वेश्य गांधी वध का मंडन करना नहीं है । पाकिस्तान को 55 करोड़ रूपये देने की गांधी की सोच अमानवीय और राष्ट्रक्षति थी। अगर आप को संशय है तो क्यों संघ विभाजन के समय इतना समर्थ नहीं था कि वह उसे रोक पाता किन्तु गांधी जी विभाजन रोक पाने और उस समय हो रहे रक्त् पात को रोकने म सक्षम थे। संघ ने अपनी शक्ति का उपयोग विस्थापितों को राहत पहूॅचाने में लगाई । अनावश्यक तर्क करने पर किसी ने आपकों अर्ध मुस्लिम कहा तो गलत है। अस्वाभाविक नहीं। निजी क्षेत्र की सार्वजनिक संस्थाओं को सरकारी मद्द का मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही हो सकता है लालू या मुलायम जिन्होंने अपने प्रियजनों को सरकार आश्रित बना डाला है संघ से क्या मुकाबला कर पायेंगे। संघ के प्रति समाज में जो आदर भाव है। क्या सरकारी कर्मचारी उससे अलग होंगे? संघ की सोच है कि समाज में हमसे अच्छे लोगों का निर्माण हो, समाज सामार्थ्यवान बने। मेरी अभिलाषा है कि आपका अभियान सफल हो पर आपका संघ विरोध कम्यूनिष्टों या मुसलमानों की तरह केवल सिद्धांतवश लगता है संघ का विरोध समाज स्तर से कटकर केवल पत्रकारिता व राजनीति तक ही सिमट गया है क्या आप इसा कारण बतायेंगे? मैं अन्य विषयों पर जिज्ञासायें आप तक प्रेषित करना चाहता हूॅ। पर आप सघ विषयक भ्रान्तियॉ फैलाकर मुझे पुराने विशय की ओर लौटा देतें है ।

प्रश्न– श्री सुरेश बोर नारकर एंरडोल, जलगॉव , महाराष्ट्रा

ज्ञान तत्व नियमित मिलता है । बहुत उपयोगी और तटस्थ विचार हमें लाभ पहुॅचाते हैं । आप से निवेदन है कि इरान न्यूक्लियर बम के संबंध में भारत की भूमिका के औचित्य पर कुछ विस्तृत प्रकाश डालने की कृपा करें ।

उत्तर :–

इरान के संबंध में भारत की नीति की विस्तृत समीक्षा ज्ञान तत्व अंक एक सौ दो पृष्ठ बीस पर गई हैं । आप पुनः पढियेगा मेरे विचार में भारत की विदेश नीति कभी गुट निरपेक्ष नहीं रही । पहली बार भारत ने स्वतंत्र निर्णय लिया है अन्यथा अब तक तो भारत हमेशा ही इरान इराक क पक्ष में रहा। साम्यवादियों की विदेश नीति का अनुसरण न करके अपनी स्वतंत्र नीति भारत के हित में है । इरान मसले पर भारत का पक्ष संतुलित रहा है। यह अब पूरी

तरह प्रमाणित हो गया है । साम्यवादी भी अब चुप है क्योंकि इरान स्वयं दुविधा में पड़ा हुआ है। हमें अपनी विदेश नीति तय करते समय अपनी सोच उस सीमा तक लोकतंत्र और विश्व व्यवस्था की ओर झुकानी चाहिये जब तक बहुत अधिक अन्याय का खतरा उत्पन्न न हो । इराक पर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को अलग थलग करके अन्यायपूर्ण आक्रमण किया। इसलिये हमें अमेरिका के विरूद्ध राष्ट्रसंघ या अमेरिका विरोधी जर्मनी फांस रूस का साथ देना चाहिये था इरान का मामला वैसा नहीं है जैसा इराक का था । इरान के मामले में जर्मनी फ्रास रूस सहित राष्ट्र संघ एक पक्षकार है । अतः हमें बहुत सोचकर स्वतंत्र फैसला करना चाहिये था । भारत के नीति निर्धारकों ने साम्यवादी प्रचार के विरूद्ध स्वतंत्र नीति अपनाकर बहुत हिम्मत दिखाई है। साम्यवादी भी बिल्कुल चुप है।

श्री सामकान्त भार्मा एच. आई. जी. 18 , आदित्यनगर, दुर्ग छत्तीसगढ़ ।

आपका लेख आतंकवाद और उसका भविष्य दैनिक नवभारत 21–10, में पढ़ा । बाद में ज्ञान तत्व में भी वह लेख पढ़ा । आपने नक्सलवादियों को आतंकवादियों की श्रेणी से बाहर रखकर भूल की है । बस्तर में सलवा जुडुम में भाग लेने वाले चार सौ ग्रामीणों की हत्या क्या आतंकवाद नहीं हैं? यद्यपि नक्सलवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर या बिट्रेन रेल धमाका जैसे कार्य तो नहीं किये हैं । किन्तु लूटमार और निर्दोश हत्याऐ ंता करते ही रहतें है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो नक्सलवादियों को आतंकवादी ही मान है । फिर आप उन्हें आतंकवादी क्यों नहीं मानतें हैं ?

उत्तर– सामान्यतया उग्रवादी और आतंकवादी में बहुत अन्तर नहीं होता । शास्त्रीय विश्लेषण में अन्तर होता है जो आप ने भी किया है। सलवा जुडुम में लोगों की हत्या आर दिल्ली के बम ब्लास्ट में आप भी अन्तर करते हैं और मैं भी। मुख्यमंत्री जी ने सामान्य रूप से ही उन्हें आतंकवादी कहा है। अतः इस मामले में मेरी सोच से आपकी सोच भिन्न नहीं है।

7.नरेन्द्र कुमार दीक्षित 148, संचार नगर, एक्सटेश्न , कनाड़िया रोड़, इन्दौर मध्यप्रदेश ।

ज्ञानतत्व अंक 103, में आपने राष्ट्रपति जी आलोचना की हैं अच्छा होता कि आप उन्हें पत्र लिखकर उसका उत्तर प्रकाशित करते। अब भी आप उन्हें लिखकर उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करें ।

आप यदि रजनीश के गुणतंत्र संबंधी गंभीर विचारों का अध्ययन करें तो आप को बहुत सहायता मिल सकती है । आप ठीक दिशा में चल रहें हैं । थोड़ा और विचार करने की जरूरत हैं ।

उत्तर– फांसी के संबंध में राष्ट्रपति जी ने अपने विचार रखें थें और मैंने भी अपने विचार रखे हैं। मैने राष्ट्रपति जी की कहीं आलोचना नहीं की है। क्योंकि राष्ट्रपति जी के फासी संबंधी विचार उनके व्यक्तिगत हैं । मैंने उनके सोच से असहमति व्यक्त की है । ज्ञानतत्व के अगले अंक में मैने फांसी संबंधी अपने कथन को और विस्तार दूॅगा । यदि राष्ट्रपति जी का कोई उत्तर आता हैं तो मैं अवश्य प्रकाशित करूॅगा यद्यपि ऐसी संभावना न के बराबर है ।

मैंने रजनीश जी को काफी पढ़ा हैं मैं उनके विचारों की प्रशंसा कर रहा हूॅ । यदि गुणतंत्र संबंधी उनके किसी विचार से आप अधिक प्रभावित हैं । तो आप लिखियेगा । मैं आपके विचारों को पूरा महत्व दूॅगा भले ही वे विचार रजनीश जो के ही क्यों न हो ।

8.कुॅवर यादवेन्द्र सिंह राणा, खेड़ा, सोलन, हिमांचल प्रदेश 174101

ज्ञानतत्व में आप ने कांग्रेस सरकार की रोजगार गारंटी योजना की एक पक्षीय प्रशंसा करके भरपूर चापलूसी की हैं। कानून तो सिर्फ कागज पर ही बनते है। कौन नहों जानता की पंचायतें अधिकांश काम श्रमिकों के स्थान पर मशीनों से ही पूरा करवाती हैं। एक सौ दिन काम देना आवश्यक है। किन्त लोगों को काम तो मिला नहीं।

रोजगार गारंटी योजना का बिल संसद न पारित किया हैं किन्तु आप ने अपनी प्रशंसा दो लोगों तक सीमित कर दी। आपके सामने या तो साम्यवादी प्रशंसा योग्य दिखे या कांग्रेस में भी सिर्फ सोनिया मनमोहन की जोड़ी । आप ऐसी एक पक्षीय प्रशंसाा करेगें ऐसी आप से उम्मीद नहीं थी। अच्छा होता यदि आप बिल का श्रेय या तो संसद को देते या भारत की जनता को जिन्होंने ऐसी संसद बनाई जिसने यह बिल पारित किया।
उत्तर :– मैं आपके पहले कथन से सहमत हूॅ। मैं स्वयं भी पॉच वर्ष तक नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में वह सब देखा हूॅ जो आप कर रहें है जो धन रोजगार के लिये जाता था उसे धडल्ले से मशीनों से काम होता था। और रोजगार सृजन न बराबर था। किन्तु पिछली योजना को देखकर ही इस व्यवस्था में संशोधन किया गया है। अब अप्रत्यक्ष रोजगार श्रृजन की प्रणाली को त्यागकर एक सौ दिन की रोजगार गारंटी योजना है। पिछली याजना में यह कमी थी कि वह कार्य प्रधान थी। रोजगार उसका सहायक प्रतिफल था। नई योजना रोजगार प्रधान हैं और उसका कार्य सहायक प्रतिफल हैं । यदि कहीं शासन कोइ काम नहीं भी दे सकेगा तो वह उक्त श्रमिक का वेतन देने के लिये बाध्य होगा । मैं नहीं कह सकता कि इस योजना में दोष नहीं होंगे किन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूॅ कि रोजगार श्रृजन की अब तक घोषित और क्रियान्वित सभी योजनायें समाज को धोखा देने का प्रयास अधिक थी । और रोजगार कम । यह योजना रोजगार श्रृजन न होकर रोजगार गारंटी योजना होने से धोखा देने का प्रयास नहीं है ।

आपने योजना का श्रेय साम्यवादियों को देने पर आपत्ति प्रकट की है । मेरे विचार से साम्यवादियों ने ही इस योजना को घोषणा पत्र में शामिल करने पर अधिक जोर दिया। फिर साम्यवादियों ने लगातार प्रयत्न भी किया। मैं नहीं समझता कि साम्यवादियों के अच्छे प्रयासो की प्रशंसा को आपने चापलूसी कैसे मान लिया। भारत में पिछले पचास पचपन वर्षो से कांग्रेस की भी सरकारें रहीं और विपक्ष की भी। अब इतने वर्ष बाद यदि यह सोच बनी तो इसका श्रेय या तो साम्यवादियों को जायेगा या मनमोहन सोनिया जोड़ी को क्योंकि इस सरकार में या तो साम्यवादी पहली बार आय है या मनमोहन सोनिया पहली बार निर्णायक अधिकार सम्पन्न बने । कुए का जल पीकर प्रशंसा से जी चुराना माना जायेगा भले ही वह जल समुद्र का या वर्षा का ही क्यों न हो । आशा है कि आप चापलूसी के आरोप से मुझे मुक्त कर देगें ।

9.श्री एम.एस.सिंगला,रामकृपा , बैंक कांलोनी, नाकामदार, अजमेर, राजस्थान।

श्री गोविन्दाचार्य जी ने अन्य राष्ट्रों से संवाद में स्वावलम्बन के द्वारा आत्मविश्वास की आवश्यकता पर जोर दिया है । किन्तु मेरे विचार मे स्वावलम्बन की धुरी आत्मविश्वास से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं '' निष्ठा एक भी राजनेता देश के प्रति निष्ठावान है यह दिखाई नहीं देता । आज तो उन पर समाज का कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया है । लगता है वी.आई.पी. के दर्जे ने उन्हें देश से उपर का दर्जा दे दिया हो । उनकी निष्ठा उनकी शपथ तक सिमट कर रह जाती है । उनके प्रति अब तो जन जन की जिहवा पर 'गद्दार ' शब्द सुनने को मिल जाते हैं । ऐसा शब्द तभी प्रस्फुटित हो सकता है जब उसके पीछे कोई विशेष कारण हो । उत्थान के नाम पर 'सदन' में सड़क छाप लोगों को पहूँचाया जायेगा तो देश सबल कैसे बन सकेगा । देश में दलितोत्थान निर्विवाद रूप से अहम् मुद्दा हो सकता ह, उसकी महती आवश्यकता हो सकती है । परन्तु क्या इसका मतलब यह होना चाहिये कि देश की बागडोर निर्बल हाथों में सौंप दी जाय, उसका गुरूत्तर भार कमजोर कन्धों पर ढोने के लिये छोड़ दिया जाय । दर असल इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि शासन मात्र 'हाथ खड़े करने वालो ' की भीड़ जुटाकर लोकतंत्र के नाम ' लॉकतंत्र ' चाहता हैं जिसका स्वरूप आम जन के बीच दिन ब दिन निखार पाता जा रहा है । इन बातों के सिलसिले का अन्त नहीं हैं जिनसे आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं अतः उनमें उलझकर अपने साथ साथ आपका अमूल्य समय नष्ट करना उचित न होगा । निष्कर्षतः तथ्य यह है कि ऐसे ज्वलंत प्रश्नों से निरूत्तर हो मैं जनता` बीच नहीं जा सकता , अक्षम महसूस करता हूँ । सार यह है कि शासन को पहले भ्रष्टाचार के मामले में घेरना चाहिये । पूर्व प्रधान मंत्री नरसिंह राव भ्रष्टाचार के साथ चले गये , लालू पसाद केन्द्रीय मंत्रो बने बैठे हैं । सुखराम का कुछ नहीं बिगड़ पाया आदि । इन्हें तो भ्रष्टाचार का प्रतीक ही माना जा सकता है क्योंकि ये तो गिने चुने उदाहरण मात्र हैं । ऐसे राजनेताओं के पास और कुछ हो न हो, विदेशों से बात करने का आत्मबल नहीं हो सकता । बहुत संभव है आपको मेरे विचार रास न आयें हो परन्तु यह विचारों की बात ही है । कि जिसके कारण देश की दशा सुधारने और उसे दिशा देने के लिये अनेक संगठन अस्तित्व में आ चुके हैं जो समाधान की बजाय स्वयं एक प्रश्न चिह्न बनते लग रहें है । प्रत्यक्ष या परोक्ष रू॰ में शासन इस परिदृश्य (बिखराव एवं संगठनो से) आश्वस्त दिखाई पड़ता हैं कि कहीं कोई बड़ी हलचल संभव नहीं हैं ।

उत्तरः— आपने वर्तमान राजनीतिक चरित्र का जो विश्लेषण किया हैं उसमें मै पूरी तरह सहमत हूँ । राजनेताओं पर समाज का नियंत्रण ही नहीं रह गया है क्योंकि राजनेताओ ने बड़ी चालाकी से समाज शब्द को महत्वहीन बनाकर राष्ट्र शब्द को महत्वपूर्ण बनाया और हम आप भी समाज और राष्ट्र का अन्तर न समझ पाने की भूल कर बैठते हैं । राजनेताओं और उनकी राजनैतिक गतिविधियों पर जब तक समाज का अंकुश नहीं होगा तब तक न राष्टनिष्ठा हो सकती है न ही भ्रष्टाचार मुक्ति । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम समाज को कमजोर करके तथा उसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, आर्थिक , स्थिति , उत्पादक उपभोक्ता, जैसे आठ वर्गो में बांटकर दलित समस्या और भ्रष्टाचार नियंत्रण के उपाय खोज रहें हैं । सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे देश के राजनेता मानवीय और सामाजिक सोच के अन्तर्गत न उठाकर समाज की एकजुटता को खंड़ित करने के उद्देश्य से उठाते हैं । जिस देश की राजनीति में लगभग सौ प्रतिशत तक भ्रष्टाचार हो वहॉ राजनेताओं का भिन्न भिन्न प्रकार के आरक्षण के प्रति इतनो गंभीर सजगता उनका ढोंग भी है और षडयंत्र भी ।

गोबिन्दाचार्य जी न आप से अपेक्षा की है कि पहले कदम के रूप में राजनीति पर समाज के अंकुश के लिये चार सूत्रीय संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कराये जावे । मेरे विचार में उन्होंन आप से ठीक ही अपेक्षा की है । मैं भी आप से यही अपेक्षा करता हूँ । आप यदि भारत की राजनीति पर अंकुश की दिशा में सफल होतें हैं तो भ्रष्टाचार या दलित समस्या सहित अनेक अन्य समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा । संकल्प पत्र तो आन्दोलन के पूर्व की तैयारी मात्र हैं । इसके छः माह बाद आन्दोलन की रूपरेखा बनेगी और तब आन्दोलन होगा । यदि एक बार हम राजनेताओं के मन में समाज का भय बिठा सकें तो आगे कोई कइिनाई नहीं होगी । चार सूत्रों में से प्रतिनिधि वापसी और गॉव जिले के अधिकारों की सूची का संविधान में समावेश होने का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा । ये दोनो मुद्दे राजनेताओं के निरंकुश आचरण की कमर तोड़ देगें । अन्य दो मुद्दे भी कम महत्व के नहीं हैं । अतः हम क्रमशः योजनानुसार आन्दोलन की दिशा में बढते चलें । इन चार मूद्दों को लेकर आपको जनता के बीच जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहियें । यदि कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे अवश्य लिखें ।

10. श्री आनन्द बिल्थरे , बालाघाट, मध्यप्रदेश ।

ज्ञान तत्व अंक 102 तथा 103 पढ़ा । दोनों अंको के मुख्य पृष्ठीय आलेख अच्छे लगे । नीर क्षीर वाली आपकी दृष्टि बन्दनीय लगी आपके पत्रात्तर मे सभी समस्याओं का समाधान सहज ही प्राप्त हो जाता है । देश के स्वास्थ्य के लिये संविधान का बदला जाना आवश्यक है । सविधान का जा प्रारूप आपने दिया है वह ग्राहय है , किन्तु जहॉ संविधान समीक्षा के नाम से ही लोग आपा खो बैठते हैं वहॉ बदलने की बात ही कल्पनाशील है। सभी को अपनी रोजी रोटी छिनने का भय है । व्यवस्था इतनी लचर हो गयी हैं कि नेताओं को सिवाय अपने स्वार्थ के कुछ नजर नहीं आता । राज्य, न्याय, हिंसा सब कुर्सी के बाद आता हैं । अभी म उमें दंगा, भोपाल में भाजपा बनाम उमा का संग्राम । बिहार में मंत्री बनने की होड़ सब यही दर्शाता है कि अपने अपने वर्चस्व की पड़ी है । इस नाटक में जनता की कहीं कोई भूमिका नहीं हैं । चुनाव में कई बार प्रतिनीधि के रूप में कई अजनबी उजाड़ दिये जाते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रतिनिधि बनने क पहले जनता की राय जान जी जाय कि वह डनहें अपना प्रतिनिधि बनाना भी चाहती है या नहीं आज की राजनीति गुण्ड़े, बदमाशों बाहुबलियों धनपतियों से भरी पड़ी हैं । व्यवस्थ परिवर्तन अभियान की सोच उम्मीद की एक नई किरण ले आई हैं । श्री राधा कृष्ण जी के प्रश्न के उत्तर में जो कुछ आपने कहा हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ । ज्ञान तत्व के विचारों की सर्वत्र चर्चा हैं और विश्वास है कि इस मंथन से समाज का हल अवश्य निकलेगा ।

उत्तर :—

अपने परिस्थिति का जैसा विश्लेषण किया वह ठीक हैं। आपने समाधान के लिये सुझाव दिया कि चुनावों में उम्मीदवार बनाने के पूर्व जनता की राय जानी जाय । सुझाव आकर्षक है, उच्च सैद्धांतिक हैं किन्तु जनता की राय जानने का तरीका क्या होगा? यदि एक लोक सभा में बारह लाख मतदाता है तो क्या तरीका होगा उनकी राय जाननें का ? जयप्रकाश जी की राय पर सर्व सेवा संघ ने चुनाव पूर्व मतदाताओं पर उम्मीदवार चयन का प्रयोग और प्रयत्न भी किया था। ठाकुर दास भंग ने मुझे कई बार इस पद्धति को समझाने का प्रयत्न किया किन्तु मैं नहीं समझा क्योंकि पद्धति पूरी तरह अव्यावहारिक है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया गुप्त मतदान द्वारा चुनाव उम्मीदवार चयन अलग क्या है। यदि आप कोई और प्रणाली समझते हैं तो वह लिखिये कि कौन सी पद्धति होगी ।

11. श्री कृष्ण देव चतुर्वेदी 522 पंचशीलनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश ।

आप द्वारा संचालित गतिविधियों की सूचना निर्दलीय के सम्पादक श्री कैलास श्रीवास्तव से प्राप्त होती हैं आपके विचारों का प्रभाव आम लोगों तक पहूँच चुका है। मंथन आरम्भ हो चुका हैं। मध्य प्रदेश में राजनैतिक बिप्लव का दौर चल रहा हैं। अब देश की जनता वर्तमान व्यवस्था परिवर्तित छवि देखने को आतुर है। देश गॉधी व जयप्रकाश के बाद आपसे आशा लगाए हुए हैं । आपके प्रयोगों एवं उसकी सफलता की चर्चाऍ देश के कोने कोने में आरम्भ है, बस समय और अवसर की प्रतीक्षा है । यह प्रश्न सता रहा हैं कि वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन हेतु क्या वर्तमान पद्धति का अनुशरण आस्था अनिवार्य है?

उत्तर'— व्यवस्था परिवर्तन अभियान संतोषजनक रूप से बढ़ रहा हैं। यदि प्रगति की यही गति रहीं तो गांधी बौर जयप्रकाश का अधूरा सपना पूरा होने में दो हजार नौ तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

व्यवस्था परिवर्तन अभियान के दो ही मार्ग उपलब्ध है। (1)हिंसक क्रान्ति (2)लोक तांत्रिक । हिंसक क्रान्ति न संभव है न उचित । लोकतांत्रिक परिवर्तन ही एक मात्र मार्ग हैं जो उचित तो है पर लोकतंत्र विकृत हो जाने से संभव नहीं दिखता। इस असंभव कार्य को संभव बनाना ही मार्ग है, और कोई नहीं। जो लोग समाज सुधार के कार्य में लगे हैं उनमें आर्यसमाज, सर्वोदय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री परिवार, मुरारी बापू, आशाराम बापू आदि की बहुत लम्बी फौज हैं ये लोग समाज परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रहें हैं। क्योकि समाज सुधार के प्रयत्न व्यवस्था में सुधार कर सकतें हैं, परिवर्तन हीं । जब व्यवस्था करने वालों की नीतियॉ गलत हों, नीयत ठीक हो तब तो समाज सुधार के प्रयत्न परिणाम दे सकते हैं किन्तु यदि व्यवस्था करने वाले की नीतियॉ गलत हों और नीयत भी तब व्यवस्था परिवर्तन के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं हैं। जब हिसक मार्ग उचित और संभव नहीं है तथा समाज सुधार न परिणाम दे सकता है न देगा तो वर्तमान संवैधानिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन के अतिरिक्त कोई और मार्ग शेष नहीं है ।

श्री जगपाल सिंह जी , मेरठ, उ0प्र0

आचार्य पंकज जी को यह भ्रम हो गया कि मैने बजरंग लाल जी के अव्यवहारिक विचारों को स्वीकार कर लिया है। सच्चाइ यह है कि मैने बजरंग लाल जी के अव्यवहारिक विचारों को लागू करने के लिये उपयुक्त शासकीय संरचना तथा चुनाव पद्धति विकसित कर ली हैं तो यदि आप को व्यवस्था परिवर्तन में रूचि हो तो आप उस चुनाव पद्धति को आधार बनाकर आगे बढें ।

उत्तर'— मैने व्यवस्था परिवर्तन के लिये पांच मौलिक सूत्र स्वीकार किये हैं
(1)सत्ता का अकेन्द्रीयकरण (2)अपराध नियंत्रण (3)आर्थिक असमानता में कमी (4)श्रम मूल्य में वृद्धि (5)समान नागरिक संहिता । इन पांच सूत्रों में का क्रम भी इसी प्रकार हैं अर्थात् आर्थिक असमानता में कमी और श्रम मूल्य वृद्धि को लागु करन से सत्ता मजबूत होती हैं या अपराध नियंत्रण की ताकत में कमी होती हैं तो सत्ता के अकेन्द्रीयकरण और अपराध नियंत्रण को आर्थिक विषमता और श्रम सम्मान पर वरीयता दी जायेगी । मेरे और रोशनलाल जी के बीच सिर्फ इतना ही अन्तर है कि वे अर्थ के केन्द्रीयकरण को सत्ता के केन्द्रीयकरण से अधिक घातक मानते हैं और मैं सत्ता के केन्द्रीयकरण को अर्थ की अपेक्षा अधिक घातक मानता हूँ ।

लम्बे विचार विमर्श के बाद दो तीन चार सितम्बर को मैने आपकी उपस्थिति में एक कार्यक्रम स्वीकार कर लिया हैं कि अपने व्यवस्था परिवर्तन अभियान के अन्तर्गत दो कार्यक्रम 'शुरू करने है (1)वर्तमान केन्द्रित सत्ता को इस तरह विकेन्द्रित करने का संविधान संशोधन करानें का आन्दोलन कि भविष्य में सत्ता केन्द्रित न हो । (2)अन्य सभी विषयों पर समाज में सार्थक बहस छेड़कर विचार मंथन का प्रयास । हमने दोनों सूत्रों पर काम 'शुरू कर दिया है । संकल्प पत्रों द्वारा सत्याग्रही भर्ती अभियान चल रहा है । आन्दोलन की घोषणा 'शीध्र ही होगी । ऐसे समय में यदि किसी विद्वान की कोई ऐसी सलाह आती हैं जो सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के निष्कर्ष के विपरीत है या उसे भ्रमित करने वाली हैं तो मुझे वह सलाह कांटे के समान चुभती है । स्वामी मुक्तानंद जी, भरत गांधी, सिद्धराज जी ढढा , हर प्रसाद जी अग्रवाल आप स्वयं तथा अन्य अनेक साथियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ । किन्तु उनकी सम्पूर्ण सलाह में यदि सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के प्रयत्न को सर्वोपरि स्थान प्राप्त नहीं हैं तो मैं उनकी अन्य सम्पूर्ण सलाह को अपने लिये घातक मानता हूँ । अब आर पार का संघर्ष छिड़ने वाला है । जो लोग केन्द्रित सत्ता प्रणाली को विकेन्द्रित सत्ता प्रणाली में बदलने के पक्ष में है उनको हर सलाह मेरे लिये विचारणीय हैं क्योंकि वे तो मेरे अपने लोग हैं । दूसरी ओर जो सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को किनारे करके आर्थिक, राजनैतिक , सामाजिक चुनाव सुधार या अन्य किसी अन्य आधार को उच्च प्राथमिकता देना चाहते हैं वे मेरे लिये पूरी तरह या तो अनुपयोगी हैं या 'शत्रुवत ! आप आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या अन्य सुधारों के माध्यम से इस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करें तो मुझे क्यों कष्ट होगा । किन्तु मैं जानता हूँ कि आपका प्रयत्न या तो सत्ता प्राप्ति के उद्वेश्य से किया जाने वाला छल है या परलोक में स्वर्ग प्राप्ति हेतु सेवा प्रकल्प । क्योंकि सत्ता के विकेन्द्रीत हुए बिना कोई सुधार स्थायी परिणाम नहीं दे सकतें । तुलसीदास जी ने कहा था कि " तजिए ताहिं कोटि बैरी साम यद्यपि परम सनेही " इनके अनुसार यदि आपकी सलाह सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को पृथक करके है तो मेरा आप सबसे निवेदन हैं कि आप अपनी कीमती सलाह अपने पास ही रखिए । मैं आप से हर मुद्दे पर सलाह कर सकता हूँ। यदि आप सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को केन्द्रीय मुद्दा मानने को तैयार हों ।

जहॉ तक विचार मंथन की बात हैं तो वह मंच हमेशा खुला हैं आप यदि अपने कथन के पक्ष में या मेरे किसी विचार या लेख के विरूद्ध अपने विचार दें तो मै उनका स्वागत करूगां । चुनाव सुधार आर्थिक आजादी मुक्तानन्दजी का संग्रह वृति विरोध आर.एस.एस. का स्वदेशी और स्वाभिमान या सर्वोदय का स्वावलम्बी और नशा मुक्त ग्राम व्यवस्था आदि के संबंध में आपसे प्राप्त विचारों पर विचार मंथन जारी रहेगा या आपके पत्रों का उत्तर भी जारी रहेगा । किन्तु आपकी सलाह पर विचार न करने की मेरी मजबूरी हैं । कृपया क्षमा करें । याद रखिए कि युद्ध भूमि में युद्ध के शंखनाद के बाद फजूल की बातों से मनोबल तोड़ने का कोई उपयोग नहीं ।

श्री के0के0सोमानी , 14 कमानी मार्ग, बालार्ड स्टेट , बम्बई 400001.

आपका पत्र भी मिला और ज्ञानतत्व भी आपके निष्कर्ष से भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ । आपने जो राजनैतिक संशोधन का मार्ग बताया उसमें कुछ और संशोधन की आवश्यकता है

(1)निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया क्या हो यह तय करना आवश्यक है ।
(2)गॉव और जिलों के अधिकारों की सूची का संविधान में समावेश प्रतिनिधि वापसी से अधिक महत्वपूर्ण और परिणामदायी है इसे प्रथम क्रम में रखना चाहिए ।
(3)पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उन्हें तीन प्रकार के टैक्स लगाने चाहिए (क)सभी भूमि को सरकारी मानकर किसान से फसल का छठा भाग (ख)सम्पूर्ण सम्पति पर एक प्रतिशत (ग)प्रत्येक बालिग से माह में एक दिन का श्रमदान या समतुल्य कर ।
(4)प्रत्येक सौ परिवारों का एक गुट बने जो अपना एक प्रतिनिधि दे । इसी तरह आगे जिला प्रदेश और संसद तक बन सकती हैं।
(5)सामान्य जन को 'शासन के वि☺ न्यायालय में न जाकर लोकपाल के पास जाने की व्यवस्था देना उचित होगा ।
(6)चुनाव और दलबंदी के बीच स्वयं को स्थापित करने के लिए जो बेशुमार धन खर्च होता है उसकी पूर्ति के लिए ही भ्रष्टाचार होता है जब तक कोई नया माग नहीं निकलेगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा । आपने धार्मिक सामाजिक आधार पर तीन निष्कर्ष निकाले कि (क)समान नागरिक संहिता
(ख)धर्म परिवर्तन कराने पर कठोर प्रतिबंध(ग)अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अवधारणा समाप्ति । मै तीनों से सहमत हूँ किन्तु आपके कुछ अन्य निष्कर्ष से सहमत नहीं ।
(1)यदि तीन निष्कर्षो पर कोई आन्दोलन खड़ा हो तो कांग्रेस कम्यूनिष्ट आदि भी सहमत होंगे ऐसा न अब तक हुआ है न होगा । क्षीबानों से लेकर गैर सहायता प्राप्त शिक्षाण संस्थानों पर आरक्षाण तक लगातार एक पक्षीय मुस्लिम तुष्टिकरण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।

(2)मजबूती और आसुरी प्रवृति तर्क से नहीं समझती । लातों के भूत बातों से नहीं मानते । न राम के समझाने से रावण माना न कृष्ण के समझाने से दुर्योधन । गांधी जी ने भी जिन्ना को बहुत समझाया पर वह बिल्कुल नहीं माना । राम और कृष्ण भी परिस्थिति अनुसार सत्य और अहिंसा की परिभाषा बदल कर दुष्ट दमन किया । गांधी जी ने भी कायतरा की अपेक्षा हिंसा को अधिक उचित बताया । किन्तु आप अहिंसा को आदर्श मान रहें हा ।

(3)हिन्दुस्तान की कई सौ वर्ष की गुलामी का कारण अहिंसाा ही रही आप भी इस बात से सहमत हैं । किन्तु आगे चलकर फिर आप अहिंसक बन गये ।

(4)आपने 'शासकीय हिंसा की कमी के लिये सर्वोदय को दोषी माना । आपने यह भी माना कि 'शासन यदि संतुलित हिंसा से कम बल प्रयोग करेगा तो समाज कानून अपने हाथ में लेगा और हिंसा बढ़ेगी । फिर आपने संघ को सामाजिक हिंसा वृद्धि का दोषी कैसे बना दिया ? संघ तो विभिन्न जातियों सम्प्रदायों, मान्यताओं और समूहों में बटे हिन्दुओं को एक मंच पर इक्कठा करने तक सीमित रहा । डा. हेडगेवार को कई राजनैतिक दलों ने निमंत्रण दिया किन्तु वे किसी दल में शामिल नहीं हुए क्यों संघ का उद्वेश्य ही राष्ट्र उत्थान , चरित्र निर्माण तक केन्द्रित रहा ।

(5)संघ और भाजपा की आर्थिक नीतियों से मेरा पूरा मतभेद है । इन्होंने वैट कर प्रणाली लागू करने में अनाश्यक आनाकानी की । जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करने के मामले में भी ये कभी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकें । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी इन्होंने भरपूर सहायता की । इसी कारण से तो ये चुनाव हारे । इनकी अर्थनीति आज भी स्पष्ट नहीं है ।
(6)मुसलमानों का साफ प्रयत्न है कि वे भारत को दारूल व इस्लाम में बदल दें । ये आबादी बढाकर, पाकिस्तान और बंगलादेशी मुसलमानों को भारत भेजकर तथा राजनीति पर नियंत्रण करके अपने उद्वेश्य की ओर लगातार बढ़ रहें हैं । यदि संघ और विश्व हिन्दु परिषद प्रयत्न नहीं करती तो अब तक और अधिक आगे गये होतें । यदि भारत सरकार कुछ नहीं करती तो प्रतिरोध का कोई न कोई मार्ग तो चुनना पडेगा ।

(7)सारी दुनिया में अमेरिका ने लिबिया पर बम फेंक कर उसे मुँहतोड़ जवाब दिया । इसराइल ने भी कभी कायरता नहीं दिखाई । अमेरिका ने जब चाहा तभी बहाने बनाकर भी अफगानिस्तान और इराक को सबक सिखा दिया किन्तु हिन्दुस्तान की सरकार अक्षारधाम ,बंबई , कश्मीर, भारतीय संसद सहित हजारों अकाट्य प्रमाणों के बाद भी चुप हैं । न कांग्रेस कुछ कर पाई हैं न तो भाजपा कुछ कर पाई ।
(8)न्यूयार्क के ग्यारह सितम्बर के आक्रमण और लंदन बम विस्फोट की सारे यूरोप में व्यापक प्रतिक्रिया हुई । मुसलमान अलग थलग पड़े । सम्पूर्ण यूरोप में मुसलमानों को संदेह की नजर से देखा जाने लगा । विचारणीय यह है कि भारत में ऐसी क्या बाधा है । कि कई गुना अधिक अत्याचारो के बाद भी हिन्दु इक्कठा नहीं होता । अनेक प्रमुख राजनैतिक पदों पर मुसलमान बैठें हैं । पासवान सरीखें लाग मुस्लिम मुख्यमंत्री की रट लगाकर राजनीति की वैतरणी पार करना चाहतें हैं ।

(9)अभी इंग्लैंड के एक मुल्ला मौलवी ओमर बकरी मुहम्मद को आक्रामक और हिंसक भाषण ओर शिक्षा देने के आधार पर लंदन प्रवेश से रोक दिया गया । भारत में ऐसा कदम कभी नहीं उठता ।
(10)हिन्दु धर्म का पूजा पद्वति से कोई संबंध नहीं । हिन्दु धर्म तो संस्कृति और जीवन पद्वति प्रधान है। पाकिस्तान में अन्य धर्मो क प्रचार प्रसार पर रोक है । फ्रांस ने भी स्कूलों में पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी । चीन ने तो पहले से ही ऐसा कानून बना रखा हैं फिर भारत ऐसा कानून क्यों नहीं बना सकता ?

आशा है कि आप इन सब प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देंगे ।
उत्तर '– आपका पत्र मिला ! संविधान संशोधन के लिये तीन चरण होंगे (1)भावनात्मक और वैचारिक सहमति(2)योजना(3)शब्द स्थापना । वापसी का अधिकार समाज को देने का काम इसलिये नहीं रूका है कि कोई मार्ग नहीं हैं बल्कि इसलिये रूका है कि राजनेता चाहते ही नहीं है । एक बार वे सहमति व्यक्त कर दे तो हम बैठकर मार्ग निकाल लेगें । दो तीन मार्ग संभव हैं (1)लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले एक चौथाई ब्लाक चेयर मैन प्रस्ताव करें तो उस लोकसभा क्षेत्र के सभी पंच मतदान करें । यदि ऐसा प्रस्ताव विफल हों जावे तो उक्त प्रस्ताव के प्रस्तावक एक चौथाई ब्लाक चेयरमैन अपने कार्यकाल में पुनः प्रस्ताव न कर सकें ।(2) लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओ की पांच प्रतिशत या एक प्रतिशत लोगो की एक छोटी मतदाता परिषद बना दी जावे जिसके पांच प्रतिशत सदस्यो के प्रस्ताव पर छोटी मतदाता परिषद मतदान करे और विफल होने पर प्रस्तावको का प्रस्ताव अधिकार छीन लिया जावे । या ऐसा ही कोई और नया सुझाव भी हो सकता है । किन्तु इन प्रस्तावों पर तब तक चर्चा बेकार है जब तक वर्तमान मे संसद भावनात्मक रूप से प्रतिनीधि बापसी सहमत न हो जावे।

आपने लिखा कि पंचायतो का गठन सभी राजनैतिक दल स्वीकार करतें है । यह बात आंशिक रूप से सत्य है । पंचायतो को कार्यपालक अधिकार दिये गये है । विधायी नहीं जब तक पंचायतो को अपने क्षत्र के लिये न्यायिक , कार्यपालिक और विधायी तीनो अधिकार नही दिये जाते तब तक कोई सुधार या परिवर्तन नही होगा । भारतीय संविधान में पंचायतो मे जिलो और परिवारो के अधिकारों की सुचि की जाये जो ऐसी हो कि उसमे उनकी सहमती के बिना कोई कटौती कोई न कर सके । इससे सभी समस्याएँ स्वयं सुलझ जायेगी । आप भी इससे सहमत है। किन्तु आप इस कार्य को बहुत कठिन मानकर इसमें नही उलझाना चाहते और मै इसे कठिन न मानकर इसमे अपनी सारी ताकत लगाना आवश्यक मानता हूँ । ग्राम सभा क्या टैक्स लगावे यह ग्राम सभा तय कर सकती है । हम तो सिर्फ यह तय करे कि केन्द्र सरकार अपने खर्च के लिये क्या कर लगाये । अभी कलकत्ता तय हुआ कि केन्द्र सरकार सभी कर समाप्त करके सिर्फ एक ही कर लगावे जा सम्पूर्ण सम्पति पर हो । इसमे सम्पूर्ण चल अचल सम्पति पर कर लगाना चाहिये । कर की दर क्या हो और कितनी सम्पत्ति तक को छूट दी जावे यह बाद मे तय हो सकता है । एक कर से केन्द्रीय खर्च आराम से चल जायेगा । क्योकि केन्द्र के पास बहुत कम विभाग होने से खर्च भी कम ही होगा । आपने चुनाव प्रणाली पर भी लिखा । हम भूल जाते है कि संविधान और कानून दो बिल्कुल भिन्न विषय है । संविधान समाज द्वारा बनाया जाता है । समाज शास्त्र का विषय है तथा शासन के लिये नियंत्रक या मार्गदर्शक होता है । कानून शासन द्वारा बनाया जाता है राजनीति शास्त्र का विषय है तथा समाज के लिये नियंत्रक तथा मार्ग दर्शक होता है। चुनाव प्रणाली क्या हो परिवार या गांव कितनी आबादी के हो ये कानून के विषय है। संविधान तो सिर्फ यह तय करेकि परिवार गाव और जिले के क्या क्या अधिकार हो । आपने और भी बातें लिखी । मेरे विचार मे ये मुद्दे व्यवस्था मे सुधार ला सकतें है किन्तु मौलिक परिवर्तन नही। जब तक संसद का कस्टोडियन स्वरूप बदलकर उसे मैनेजर का रूप न दे–दे तब तक सुधार कम लाभकारी ही परिणाम देगे । आपने किसी नये मार्ग ही व्यवस्था परिवर्तन है जिसका प्रथम चरण है राजनीति पर समाज का अंकुश ,दूसरा चरण है ग्यारह समस्याओ का समाधान और तीसरा चरण है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन । पहले चरण के आदोलन , दूसरे पर विचार मंथन और तीसरे के लिये पहले कि सफलता तक प्रतीक्षा की योजना है । आपने जो चुनाव सुधार, कर प्रणाली, आदि पर लिखा वह विचार मंथन का हिस्सा तो है किन्तु तत्काल आन्दोलन में जोड़ना संभव नहीं । आपने हमारे आन्दोलन के चार सूत्रों के क्रम पर विचार दिया । मैं भी महसूस करता हूँ कि विकेन्द्रीयकरण प्रभाव की दृष्टि से प्रथम और प्रतिनिधि वापसी द्वितीय महत्व का है । किन्तु महत्व के अनुसार क्रम बनाने की दिशा में नहीं सोचा गया बल्कि जन आकर्षण के आधार पर क्रम बना ।

इसी तरह आपने धार्मिक मामलों मे भी कई प्रश्न उठाये हैं । आपने इस्लामिक खतरे के वि☺ सावधान करते हुए सामाजिक, राजनैतिक बल प्रयोग तक की आवश्यकता बताई । आपने संघ और विश्व हिन्दु परिषद को सफल और धन्यवाद का पात्र बताया । मेरा विचार आपके निष्कर्षो से कुछ भिन्न है । मेरे विचार मे भारत की अनेक समस्याओं का कारण संघ और सर्वोदय की कथनी और करनी का फर्क है । आप या अन्य संघ विहिप के लोग दिन रात चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह , राम और कृष्ण नाम पर हिंसा और बल प्रयोग की वकालत करते हैं । किन्तु मूमल बात यह है कि आप करते क्या ह । किसने रोका आपको आजाद और भगत सिंह बनने से । आप यदि सफलता पूर्वक कहीबम फेंकर हमें उपदेश देते तब तो कुछ समझ में आता ? जो लोग अपने जीवन व्यवहार में पूरी तरह हिंसा से डरतें हों वे हम लोगों से उम्मीद बांधते हैं कि हम हिंसा करें यह आपकी भूल है । आप बन जाइयें लादेन और कूद पड़ियें कहीं बम लेकर । मैं आपको नहीं रोकूंगा । मैं विचारों से भी सामाजिक हिंसा के वि☺ हूँ और आचरण में भी वि☺ हूँ । दो संगठनों की नासमझी ने भारत का भी बहुत नुकसान किया और हिन्दुओं का भी । एक है संघ की नासमझी भरी हिंसा की वकालत । दोनों समूह कुछ समझना ही नहीं चाहते । संघ हिंसा का मुकाबला हिंसा से करने की हमस उम्मीद करता है और सर्वोदय हिंसा का मुकाबला हृदय परिवर्तन से करने की हमसे उम्मीद करता है । जबकि हम किसी प्रयत्न से स्वयं दूर रहकर 'शासन से चाहते ह िकवह हिंसक आक्रमणकारी को दंडित करें और हमारी सुरक्षा करें । यदि कोई सरकार दण्ड और सुरक्षा नहीं दे सकती तो हम उस व्यवस्था को बदलने में अपनी सारी ताकत लगा देगें लेकिन हमतब तक कोई प्रत्यक्ष टकराव नहीं करेंगे जब तक बिल्कुल अनिवार्य न हो । मैं तो मानता हूँ कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो अपनी पुलिस को हिदायत देता कि किसी संघ के कार्यकर्ता को किसी हिंसा के वि☺ कोईसहायता की आवश्यकता ही नहीं हैं क्योंकि उसकस डंड़ा आर त्रिसुल उसे बचा लेगा । भगत सिंह , चन्द्रशेखर आजाद, राम और कृष्ण के अनुयायो को पुलिस की मद्द क्यों चाहिये । मैं पुलिस को यह भी आदेश देता कि किसी गांधीवादी पर अपराधिक हिंसा आक्रमण में भी पुलिस को निर्लिप्त रहना चाहियें क्योंकि गांधीवादी तो ऐसे अपराधियों का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हैं । गांधी विनोबा जयप्रकाश के अनुयायी को अपराध नियंत्रण के लिये पुलिस की मद्द क्यों चाहिये । पुलिस की मद्द तो सिर्फ हमारे सरीखे उन लोगों को चाहिये जिन्हें न तो स्वयं निपटने की ताकत है न हृदय परिवर्तन की सफलता पर विश्वास । मैं तो चाहता हूँ कि संघ और सर्वोदय अपनी हिंसा और अहिंसा की परिभाषा को अपने व्यवहार में उतारकर उदाहरण प्रस्तुत करें । हम लोग इतने फालतू नहीं कि आपके आदर्शवादी प्रवचन के लिये समय बर्बाद करें । मैं तो विचार ओर आचरण दोनों में इस मत का हूँ कि कानून अपने हाथ में कभी नहीं लूंगा और नपुंसक कानूनों को बदलवा कर एक मजबूत सुरक्षा की कानूनी व्यवस्था लागू करवाउँगा । इस प्रयास से यदि संघ और सर्वोदय के लोग सहमत हो तो ठीक अन्यथा उनके भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, की बहादरी और गाँधी बिनोवा के अहिंसक आचरण की मैं समीक्षा करता रहूँगा । मुझे दुख है कि जिनमें गांधी और भगत सिंह के मुकाबले एक पैसा भी आचरण का आत्मबल नहीं है वे बेमतलब समाज में गांधी ओर भगत सिंह के नाम पर बहस की दुकानदारी चलाते रहते हैं । मैं प्रारम्भ से ही मानता रहा हूँ कि – (1)धर्म को राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर नियंत्रण करना चाहिये और राजनीति को धर्म से दूर रहकर धर्म की सुरक्षा करनी चाहिये । इस्लाम कोई धर्म न होकर एक निश्चित पूजा पद्धति के आधार पर बना एक संगठन है । इसलिये उपर के दोनो सिद्धान्तों से इस्लाम का कोई संबंध नहीं । किन्तु हिन्दुत्व संगठन या विशेष पूजा पद्धति का नाम मात्र न होकर एक विशेष जीवन प्रणाली है। गांधी जी ने भी ठीक से समझा था और हेगडेवार जी ने भी । गांधी ने सदा ही राजनीति को धर्म से दूरी बनाकर धर्म निरपेक्षता बने रहने की सलाह दी और हेगडेवार ने राजनीति से दूरी बनाकर सांस्कृतिक राष्ट्रीय तथा सामाजिक चरित्र निर्माण तक सक्रियता की । गांधी के अनुयायियों ने धर्म निरपेक्ष के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का चोर दरवाजा बना लिया और संघ ने भाजपा के नाम पर राजनीति में सक्रियता का चोर दरवाजा बना लिया । न कांग्रेस ने धर्म का मार्ग घोषित किया न संघ ने राजनीति का । दोनों दुनिया को मूर्ख समझकर नदी में सर डुबाकर मछली खाने की चालाकी करते रहें । कांग्रेस ने भारत राष्ट्र को अव्यवस्था में ढकेल दिया और संघ ने हिन्दू धर्म को अल्पसंख्यक होने तक के खतरे तक पहूँचा दिया । मैं तीस चालीस वर्षो से समझता रहा हूँ कि दोनों को नीतियां गलत हैं किन्तु मैं वैचारिक दृष्टि से इतना तैयार नहीं था कि निर्णायक घोषणा कर सकूं । मेरे देखते –देखते बीस–तीस वर्षो में अव्यवस्था भी कई गुना बढ़ गई और इस्लाम की ताकत भी बढ़ गई । मैं यह महसूस करता हूँ कि कांग्रेस में न अव्यवस्था रोकने को ताकत और इच्छा 'शक्ति है न संघ में इस्लाम नियंत्रण की । क्योंकि कांग्रेस इस्लाम इसाई धर्मो के साथ गुप्त समझौते से दूर होगी नहीं और संघ राजनीति का स्वाद छोड़ नहीं सकता । दोनों ही हमें डुबा देंगे आर सुनने समझने के लिये ये तैयार ही नहीं है ।

इसलिए मैने उन सब कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है जो इस सम्पूर्ण स्थिति से दुखी और किंकर्तव्य विमूढ है । राजनीति को केन्द्रित सत्ता की चाशनी का स्वाद छोड़कर गांधी के विकेन्द्रीयकरण के मार्ग पर चल पड़ना चाहिए अन्यथा यदि उन्होंने यह मार्ग नहीं बदला तो हम भारत क आम नागरिकों को अपनी अलग राह चुनने का निवेदन करेंगे । इसी तरह संघ ने भाजपा रूपी राजनैतिक स्वार्थ से दूरी बनाकर सांस्कृतिक राष्ट्रीय , सामाजिक चारित्रिक

दिशा तक सीमित नहीं किया तो संघ के कार्यकर्ताओं से भी हम वैसा ही निवेदन करने वाले हैं । संघ को सिर्फ भाजपा से दूरी बनाने के ढोंग मात्र से हिन्दू हित नहीं होगा । हिन्दू हित होगा संघ की कथनी और करनी में एकरूपता से । हम लोगों ने संघ के प्रयत्नों के परिणामों की बहुत प्रतीक्षा कर ली । अब और प्रतिक्षा से भारत दारूल इस्लाम में बदल जायेगा और संघ इस्लाम को सिर्फ गाली देता रह जायेगा ।

हम लोग इस्लाम के खतरे को संघ की अपेक्षा न कम समझते हैं न कम चिंति है । किन्तु हम संघ की घिसी पिटी कार्ययोजना को अब परिणाम मूलक नहीं समझते । संघ प्रमुखों से हम चाहते हैं कि उनके स्वतंत्रता बाद के सारे प्रयत्नों पर फिर से स्वतत्र और गम्भीर विचार विमर्श हो । विचयार विमर्श बाद जो योजना बने उस यपर पूरी सक्रियता से आगे बढ़ा जावे । हम किसी भी हालत में यह यनहींचाहते कि संघ राजनीति में दल के रूप में सक्रिय हो । हम तो चाहते हैं कि संघ राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर नियंत्रण हेत गभीर मंथन शुरू करे और आप सब संघ को ऐसे विचार मंथन हेतु मजबूर करें । मुझे उम्मीद है कि गांधी आर हेडगेवार के अनुयायी अब अपनी परिणाम ही नीतियों पर पुनर्विचार करेंगे ।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि हिन्दू विचारधारा,उ0 हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू दर्शन के अनुयायियों का एकत्रीकरण ही भारत को वर्तमान अव्यवस्था से उबार सकता है । हिन्दू संस्कृति पूजा या ईश बंदना प्रधान नहीं हैं । वह तो आचरण प्रधान है । समाज सर्वोच्च होगा , सत्ता समाज विरोधियों से समाज की सुरक्षा की गारंटी देगी, सत्ता समाज के कार्यो में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी, धन के प्रभाव की सीमित स्वतंत्रता होगी । ऐसे विचारों से सहमत लोगों को एकजुट होना होगा । न गांधी के अनुयायी इतना भरोसेमंद हैं कि वे समाज विरोधियों से सुरक्षा का कोई मार्ग खोज सकें और न हेडगेवार के अनुयायियों को कोई योजना देश के हिन्दुओं को एकजुट कर सकती है । न हिन्दू संघ की आक्रामक शैली से इकट्ठा होगा ओर न ही इस्लाम की संगठन 'शक्ति की बाढ़ रूकेगी । अतः संघ और सर्वोदय को जनहित में बैठकर अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

व्यवस्था परिवर्तन अभियान के बढ़ते कदम

महेश भाई

व्यवस्था परिवर्तन अभियान के दिल्ली सम्मेलन की घोषणा मात्र अभी तीन महीने ही हुए हैं कि इसके प्रभाव और स्वीकृति की मुहर आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में लगा दी गयी । विदित हो कि व्यवस्था परिवर्तन अभियान के लिये उद्घोषित चुने हुए किसी स्तर के जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने को अधिकार उस क्षेत्र मे मतदाताओं को मिलना चाहिए और इसी जनप्रतिनिधि वापसी के अधिकार पर मुहर लगायी गयी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के समर्थक घटक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सह लोक सभाअध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन घटक दल तेलगूदेशम पार्टी के सुप्रीमों सह आंध्र विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री चन्द्रबाबू नायडू द्वारा । आन्ध्र विधान सभा की स्वर्ण जयन्ती समारोह का उद्घाटन करते हुए लोक सभा अध्यक्ष तथा सीपीएम नेता ने स्वीकार किया कि राजनैतिक 'शुद्धीकरण के लिये मतदाताओं को भ्रष्ट ,अपराधी और निकम्में अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिलना ही चाहिए । उसी समारोह में आन्ध्र विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से तेलगू देशम के सुप्रीमों श्री चन्द्रबाबू नायडू ने लोक सभाअध्यक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि आज की राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक एवं जनहितैशी बनाने के लिए मतदाताओं को वापस बुलाने का संवैधानिक हक होना चाहिए ।

मैं मानता हूँ कि हमारें व्यवस्था परिवर्तन अभियान का सक्रिय संकल्प भारतीय राजनीति के दोनों ध्रुवों संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को यह स्वीकार करने के लिए मजबुर कर रहा है कि सालों से चली आ रही लोकतांत्रिक व्यवस्था की नपुसकता अब टिकने वाली नहीं है । अब कुछ करना ही पड़ेगा । 'शायद यही वह वजह है दोनों गठबंधनों के जवाबदेह नेताओं ने व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ने की सार्वजनिक घोषणायें की है । इन स्वीकृतियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन अभियान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है ।

गौरतलब है कि 14 दिसम्बर के दैनिक हिन्दुस्तान ने सांसद रिश्वत मामले में अपने संपादकीय में व्यवस्था परिवर्तन अभियान की दिशा में अपना सुझाव दिया है , '' अपना कर्तव्य निभाने में चूक करने वाले सांसदों, विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए । वामदल तथा समाजवादी इस सुझाव के समर्थक रहे हैं । कानून बनाने के लिए वे अब सरकार पर दबाव बना सकते हैं । व्यवस्था परिवर्तन अभियान की सफलता निकट से निकट होती जा रही है। हम सब को सक्रिय हो जाना चाहिए ।

1. नेता बेलगाम है ,
   सन्त गुरू नाकाम हैं,
   हमस ब आज गुलाम हैं,
   अपराधी खले आम हैं,
   अब स्वराज्य का नारा दो,
   हम पर राज्य हमारा हो ।

2. सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था– स्वराज्य प्रधान,
   स्वराज्य की गारंटी व्यवस्था की
3. 'शासन की सफलता का आधार
   न्यूनतम दायित्व ,अधिकतम 'शक्ति ।

4. व्यवस्था परिवर्तन के लिये दो आवश्यकताएँ ।

(क) नई व्यवस्था का प्रारूप
(ख) प्रारूप के आधार पर जनमत जागरण हेतु एक संगठन।

5. सब सुधरेंगे तीन सुधारे , नेता,कर,कानून हमारे
6. कृत्रिम उर्जा सस्ती हो, यह बहुत बड़ा षड़यंत्र है ।

श्रम का 'शोषण करने का यह पूँजीवादी मंत्र है ।

7. हमें सुराज्य नहीं, स्वराज्य चाहिये ।